

प्रेषक

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।  
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।  
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य  
प्रशासक ।

यादी क्रमांक 13201-टीए-हर-18टी-2012 / 14058-62  
दिनांक: 14/12/12

विषय:-

Instruction Regarding Issuance of NOC for obtaining  
passport.

उपरोक्त विषय पर के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि कि एस0 ए0  
एस0 काडर के अधिकारियों/कर्मचारियों के पासपोर्ट बारे एन0 ओ0 सी0 जारी उसी  
विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाना है , जहां पर वह नियुक्त हैं । अतः आपसे अनुरोध  
है कि एस0 ए0 एस0 काडर के अधिकारियों/कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी करने के  
लिए यदि वह एन0 ओ0 सी0 बारे अप्लाई करते हैं तो अनैक्चर-एम पर हस्ताक्षर उनके  
विभागाध्यक्ष से करवा लें जहां वह कार्यरत हैं । सरकार की हिदायते दिनांक 13.9.2005 व  
2.9.85 सलंगन हैं ।

संयुक्त निदेशक,  
कृते: निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।  
पृ0 क्रमांक 13201-टीए-हर-18टी-2012 / 14063-65 दिनांक: 14/12/12

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि0 ले0 शाखा ।
2. खजाना तथा लेखा विभाग में 1टी व 4 टी ।

संयुक्त निदेशक,  
कृते: निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।